पत्र संख्या-4(3)अलीगढ़ जोन, अलीगढ़ / 2015-16// ५२० /1718012 // वाणिज्य कर।

कार्यालय कमिश्नर वाणिज्य कर,उत्तर प्रदेश

(विधि अनुभाग)

लखनऊ:: दिनांक, मई,३०, 2017

समस्त जोनल एडिशनल कमिश्नर,

वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश।

केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा- 5 के अन्तर्गत आयात या निर्यात के अनुक्रम में माल के बिक्रय अथवा क्रय को परिभाषित किया गया है तथा निर्यात के अनुक्रम में माल की बिक्री पर करमुक्ति का लाभ प्रदान करने के लिये केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा- 5 तथा केन्द्रीय बिक्रय कर रजिस्ट्रेशन एवं टर्नओवर रूल्स-1957 के नियम- 12 के अधीन व्यवस्था की गयी है।

अभी तक नेपाल को निर्यात किये जाने वाले माल के सम्बंध में भारत के बाहर माल भेजे जाने के प्रमाण स्वरूप भारतीय कस्टम विभाग द्वारा जारी कस्टम सर्टिफिकेट तथा उसके साथ-साथ नेपाल राज्य से लगी हुई व्यापार कर की चौकी/सहायता केन्द्र के प्रमाण पत्र को साक्ष्य के रूप में स्वीकार किये जाने के निर्देश निर्गत किये गये हैं। (परिपत्र सं0- डि0कमि0(वि0अनु0शा0)/34-वाराणसी(199-2000)-4355/व्यापार कर, दिनांक 06.03.2002)

अलीगढ़ स्टील फर्नीचर एवं हार्डवेयर ट्रेडर्स एसोसिएशन (रजि0) द्वारा अपने प्रत्यावेदन दिनांक 21.03.2017 में यह उल्लेख किया गया है कि वाणिज्य कर विभाग द्वारा व्यापार कर की जॉच चौकी/सहायता केन्द्र को समाप्त कर देने के पश्चात् व्यापारी द्वारा नेपाल कस्टम अधिकारी द्वारा जारी प्रमाण पत्र प्रस्तुत करने पर माल को भारत की सीमा के बाहर प्रमाणित माना जायेगा अथवा नहीं।

इस संदर्भ में उल्लेखनीय है कि निर्यात के सम्बंध में केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा-5 में "Sale in the course of export" परिभाषित है। देश के बाहर के क्रेता के आदेश के अनुक्रम में उत्तर प्रदेश के निर्यातक द्वारा की गयी बिक्री तथा उस बिक्री के अनुक्रम में नेपाल के लिए माल का मूवमेन्ट सत्यापित / प्रमाणित हो जाने पर ही निर्यातक को कर से छूट अनुमन्य है। किसी सम्व्यवहार के in the course of export होने की जॉच के संदर्भ में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांत विचारणीय है। माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सर्वश्री टाटा आयरन एण्ड स्टील कं0 बनाम एस0आर0सरकार (1960) 11 एस.टी.सी. के मामले में निम्नवत् मत स्थिर किया गया है :-

"For the purpose of determining as to whether a sale was in the course of export or import all that is necessary is to see as to whether the movement of goods was occasioned by contract of sale. It does not matter where the property passed."

माननीय उच्च न्यायालय द्वारा सर्वश्री नेशनल कार्बन कं0 बनाम एस.टी.सी. (1969) 23 एस.टी.सी. 388 के मामले में निर्णय दिया गया है कि "Where the sale was completed or where the property in the goods passed from the seller to the buyer is wholly immaterial. The exportation of goods must be a part of the contract of sale or must be necessary incident thereof. Thus a sale will be said to occasion the export if there is :-

(i) a common intetion of both the seller and byer to export.

(ii) an obligation to export and

(iii) an actual export.

अत: परिपत्र सं0-234/4355 दिनांक 06.03.2002 में उल्लिखित प्रमाण पत्र के अभाव में भी यदि व्यापारी द्वारा देश के बाहर माल जाने का साक्ष्य उपलब्ध करा दिया जाता है तो केन्द्रीय बिक्री कर अधिनियम की धारा- 5 के प्राविधानों के अनुसार व्यापारी को करमुक्ति का लाभ देय है। अत: करनिर्धारण अधिकारियों को निर्देशित किया जाता है कि निर्यात बिक्री के सम्बंध में माननीय उच्चतम न्यायालय तथा माननीय उच्च न्यायालय द्वारा प्रतिपादित सिद्धांतों के अनुरूप जॉच करने पर sale in the course of export प्रमाणित पाये जाने पर करमुक्ति का लाभ प्रदान किया जाये।

जिन मामलों में यह संदेह करने का पुष्ट आधार मौजूद हो कि माल भारतीय कस्टम बैरियर से क्रॉस करने के पश्चात् भी भारत की सीमाओं में उतार लिया गया है तो उन मामलों में नेपाल कस्टम बैरियर से क्रॉस वेरीफिकेशन सम्बंधित क्षेत्र के डिप्टी कमिश्नर(वि0अनु0शा0) के माध्यम से करा लिया जाये। यदि सत्यापन के फलस्वरूप अनियमिततायें पायी जायें तो सम्बंधित प्रकरण में कार्यवाही करने के साथ-साथ उसकी सूचना मुख्यालय को उपलब्ध करायी जायें, जिससे कि मुख्यालय स्तर से अपेक्षित कार्यवाही की जा सके।

कृपया उक्त निर्देशों से अपने अधीन समस्त अधिकारियों को अवगत कराना एवं तद्नुसार कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।

29/05/17

(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।